

15-3-19.

अर्थी का प्रार्थना पत्र  
एवं रजिस्टर लेकर पेश हुआ।  
विपक्षीगण को मध्य नकल  
प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी  
किये जावे। पत्रावली वास्ते  
लखी दुआं 16.5.19  
29.4.19 को  
पेश है।

2160

सहायक कलेक्टर  
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

16-5-19.

पत्रावली पेश हुई।  
वकील अर्थी उपस्थित।  
विपक्षीगण को जारी सम्मन  
तामिल हो शामिल पत्रावली  
है। विपक्षीगण को रण्ड रण्ड  
कर आवान्त्रे लगावाएँ लेखिन  
आस्थित नही हुए। विपक्षी  
गण के आवान्त्रे सूचना अनु  
रहने से उनके विरुद्ध एतदर्थ  
कार्यवाली की जाती है। पत्रावली  
का आयलोकन किण्व विवरण  
संक्षेप में इस प्रकार है :-

अर्थी ने एक प्रार्थना

सहायक कलेक्टर  
देवगढ़, जिला राजसमन्द

रिजिस्ट्रार के तहत प्रस्तुत कर रिजिस्ट्रार  
दिया कि ग्राम देवगाह पत्थर एका  
देवगाह तहसील देवगाह में ग्रामों की  
स्वातंत्र्य 'एन बयजे' की ग्राम स्थित  
है जिससे स्वता नं. 336 स्वता नम्बर  
3019/13 स्वता 15.13 लीखा है। उक्त  
ग्राम का ग्रामों निबंध स्व से कार्या  
कोरए करता परा का रण है दिव्यु  
उक्त ग्रामों के कारो तरफ पत्थर की  
पकरी दिवार भूयया सीमा चिह्न नही  
होने से विपक्षीगण जो ग्रामों की ग्राम  
की सीमा से लगते हुए पड़ोसी है हर  
समय ग्राम पर कब्जा करने की निमत  
से कसए लुकाई एवं कडाई के सीमा -  
संबंधी विवाद करते रहते हैं जिससे  
ग्रामों को अभावग्रस्त मुद्दामेबाजी के  
लिये विवश लेना पड़ता है। और पर  
अभावने शपथ रहती है। यदि उक्त वर्णित  
ग्रामों की पत्थरगादी है जाती है तो  
ग्राम पर सीमा संबंधी जो विवाद है  
वह हमेशा के लिये समाप्त हो जाएगा  
तथा ग्रामों उक्तो ग्राम का शान्ति पूर्वक  
उपयोग उपयोग कर लेंगे। अतः ग्रामों  
की उक्त वर्णित स्वातंत्र्यी ग्रामों की  
पत्थरगादी के अडोष उदान कराये जाये।

ग्रामों का ग्रामों पर दर्ज  
रजिस्ट्रार कर विपक्षीगण को मम नरए  
ग्रामों पर के सम्मन जारी कियेगाये।  
प्रत्युत्तर में विपक्षीगण में कोई जवाब  
पेश नही दिव्य बल्यो सम्मन नामील  
है जाने पर भी अनुपारखिल रहे। विपक्षी  
गण के बावजुद

क्रमांक	सर्वेक्षण विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सुचनाएं जारी की गई
16/5/19	<p>वदोह वार्ड में एएस में तबे डिवा 18 ग्राम देवगाड में ग्रामी की खालेदारी ग्रामि स्थित है जिसके खाला नं. 336 ख. नं. 309/43 रखा 15.13 बीघा है। अर्था इस ग्रामि पर निर्विध रूप से कासा फौरत करला आ रहा है हेडिन इस ग्रामि के चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्डी अथवा सीमा विणह गयी है जिससे निपक्षीणत जो ग्रामी की ग्रामि की सीमा से मिलले है पक्षी है जो एर समय कसल धुवाइ एंव कटाई के सोमा संबंधी विवाद करते रहते है। यदि अर्था की उक्त का वार्डल ग्रामि की पत्थरमदी हो जाली है तो इस समस्या का हमेसा के लिमे समाधान हो जालेगा तथा अर्था उसकी ग्रामि का आनेपूर्वक उपयोग उपयोग कर लेगा। इतल: अर्था की उक्त वार्डल ग्रामि की बादे</p>	

आयुक्त कलेक्टर  
देवगाड, जिला राजसमन्द

16.5.19. नपली पत्थरगढी कराने के इच्छेय प्रदान  
कराये जावे।

हमने शर्तों के अधीन पत्र नईल  
जमाखंडी एवं पत्राली में संलग्न अन्य  
दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा  
विशेष वकील शर्तों की धारा पर मनन  
किया। ग्राम देवगढ़ की जमाखंड सं. 2070  
से 2073 में शर्तों खालेदार हैं। खालेदार  
उपरि खाले की शर्तों की पत्थरगढी करा  
सकता है।

मनः शर्तों का अधीन पत्र खालेदार  
किया जाता है तथा ग्राम देवगढ़ की शर्तों  
खा. सं. 336. ख. सं. 309/43 रकबा 15.13  
बीघा शर्तों की पत्थरगढी के इच्छेय प्रदान  
किया है। मालना हेतु तालीखालेदार देवगढ़  
को लिखाजावे कि शर्तों से निप्रमाणुभार  
पत्थरगढी शुल्क जमा करा पञ्चकारान की  
अधीन कर मांडे पर पत्थरगढी कीजकर  
रिपोर्ट भेजा रहे।

निर्णय आज दिनांक 16.5.19 को  
सुले न्यायालय सुनाया गया। पत्राली  
दस्तावेजों के अन्तर् से इस की जावे।

2/10  
सहायक कलेक्टर  
देवगढ़, जिला राजसमन्द